ई.एक्स.–ए.बी.– 689/2026
चोलामण्डलम वि. चंचल दोशी व अन्य

08.07.2026 अवार्डधारी की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक राजुरकर उपस्थित।

निर्णीतऋणी अनिर्वाहित।

इसी स्तर पर अवार्डधारी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण को वापस लिये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि निर्णीतऋणी द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा कोई विवाद शेष नहीं है इस कारण वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं पूर्ण संतुष्टि में समाप्त करना चाहते है, क्योंकि इस मामले में डिक्री के संबंध में पूर्ण संतुष्टि हो चुकी हैं। अवार्डधारी अधिवक्ता द्वारा इस प्रभाव की टीप आदेश पत्रिका के मार्जिन भाग पर अंकित की गई।

अवार्डधारी के निवेदन पर अवार्डधारी की ओर से प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण **पूर्ण संतुष्टि** में समाप्त किया जाता है।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

मामले का परिणाम नोट कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

AMIT SINGH SISODIA
Digitally signed by AMIT SINGH SISODIA
Date: 2026.07.08 17:30:00 +0530

सही/–
(अमित सिंह सिसोदिया)
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय,
(जिला न्यायाधीश स्तर), इंदौर म0प्र0